5वां स्थान

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *65
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचा

***65. डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश भर में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस मिशन के तहत आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित इनमें बुनियादी ढांचे को पुन:व्यवस्थित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं को अधिक प्राथमिकता देने/लाभ प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में कोई वर्गीकरण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

******

“आंगनवाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचा” के संबंध में दिनांक 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 65 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान, सरकारी भवनों में स्थित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत बेहतर पोषण वितरण तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में सुदृढ़ और उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई से संबंधित पुस्तकें और शिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं। अब तक, 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2021-22 से प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण किया जाना है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें से 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान किए जाएंगे, जिसे निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाएगा।

शौचालय के निर्माण के लिए अनुमोदित इकाई लागत 36000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है और पेयजल के प्रावधान के लिए अनुमोदित लागत 17000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसे लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साझा किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देशभर में इन आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी सहायिका मिल जाएगी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करेगी, ताकि ईसीसीई घटक को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के उन प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां भी जगह उपलब्ध हो।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)

का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है। अब तक, देश भर में पीएम जनमन के तहत निर्माण के लिए कुल 2139 एडब्ल्यूसी को मंजूरी दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक एसटी गांवों में आदिवासी परिवारों की संतृप्ति कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दायरे में वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम एडब्ल्यूसी की स्थापना और 6000 मौजूदा एडब्ल्यूसी को सक्षम एडब्ल्यूसी में उन्नत करना शामिल है। अब तक, देश भर में डीएजेजीयूए के तहत कुल 236 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

आंगनवाड़ी केंद्र स्थानीय समुदाय की महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा संचालित होते हैं, जो पोषण और बाल विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आती हैं।

पोषण वाटिकाएं (रसोई उद्यान और पोषक उद्यान) आंगनवाड़ी केंद्रों पर या उनके आस-पास, जहां भी संभव हो, तथा सरकारी स्कूलों और ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थापित की जा रही हैं, ताकि महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ आसानी से प्रदान किए जा सकें। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत क्षेत्रों, गांव की खाली भूमि या किसी अन्य सरकारी परिसर जैसे स्कूल परिसर या इलाके में उपलब्ध सामुदायिक/सरकारी भूमि आदि का उपयोग किया जाता है। इन वाटिकाओं के प्रबंधन के लिए किशोरियों और बीपीएल महिलाओं को तैनात किया जाता है।

****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचा" के संबंध में दिनांक 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 65 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन हेतु अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्रों की अब तक कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9,958
2	बिहार	11,529
3	छत्तीसगढ़	11,490
4	गुजरात	13,147
5	हरियाणा	2,804
6	हिमाचल प्रदेश	1,030
7	जम्मू एवं कश्मीर	338
8	झारखंड	16,775
9	कर्नाटक	17,732
10	केरल	4152
11	मध्य प्रदेश	24,662
12	महाराष्ट्र	14,745
13	ओडिशा	12,140
14	पंजाब	353
15	राजस्थान	3514
16	तमिलनाडु	11,972
17	तेलंगाना	5,008
18	उत्तर प्रदेश	23,697
19	उत्तराखंड	827
20	पश्चिम बंगाल	5,359
21	अरुणाचल प्रदेश	152
22	असम	5,407
23	मणिपुर	30
24	मेघालय	121
25	मिजोरम	1,600
26	नागालैंड	149
27	सिक्किम	435
28	त्रिपुरा	474
29	अंडमान और निकोबार	140
30	गोवा	24
31	पुदुच्चेरी	135
32	चंडीगढ़	69
33	लद्दाख	14
36	लक्षद्वीप	18
	कुल	**2,00,000**